न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–बॉसवाड़ा–राज0

दीवानी दावा संख्या : 02 / 2018

शीलभद्र जैन बनाम हितेश जैन

दावा बाबत खाली कराने दुकान व वसूली बकाया किराया

आदेशिका

दिनांक : 22.04.2018

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष पेश हुई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

वादी शीलभद्र जैन मय वकील श्री चन्द्रेश मेहता उपस्थित। प्रतिवादी हितेश जैन मय वकील श्री अभय आसावत उपस्थित ।

पक्षकारान को राजीनामा हेतु समझाईश की गई । बाद समझाईश पक्षकारान ने आपसी राजीनामा होना स्वीकार किया तथा एक लिखित राजीनामा पेश कर राजीनामा तस्दीक कर तदनुसार निर्णय, डिक्री का निवेदन किया ।

उक्त राजीनामा उभय पक्ष को पढ़कर सुनाया व समझाया गया तो सही होना स्वीकार किया । वादी की पहचान अधिवक्ता श्री चन्द्रेश मेहता द्वारा की गई एवं प्रतिवादी की पहचान अधिवक्ता श्री अभय आसावत द्वारा की गई । अतः यह वाद उभय पक्ष की सहमति से मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार डिक्री किया जाता है :–

अ– वादी का प्रतिवादी से आज तक का जो किराया निकलता है, वह वादी माफ करता है।

ब– प्रतिवादी वादी को उक्त किरायाशुदा परिसर जिसका विवरण वाद पत्र की चरण संख्या 1 में दर्शाया गया, का रिक्त कब्जा दिनांक 20.07.2019 तक सुपुर्द कर देगा।

स– प्रतिवादी उक्त दिनांक 20.07.2019 को परिसर का रिक्त कब्जा वादी को सुपुर्द नहीं करे तो वादी प्रतिवादी के विरुद्ध इजराय कार्यवाही कर वादग्रस्त दुकान का कब्जा प्राप्त कर लेगा तथा दिनांक 20.07.2019 तक वादग्रस्त दुकान का कब्जा प्रतिवादी वादी को सुपुर्द नहीं करे तो वादी प्रतिवादी से बकाये की किराये की रकम पाने का अधिकारी रहेगा।

द– पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे ।

उक्तानुसार डिक्री पर्चा कायम किया जाए । पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत उक्त राजीनामा डिक्री का भाग होगा ।

पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।